R.M.M. Law College. Saharsa
Nareshji Anand
LL.B. Part - Ist
Paper — IInd
Constitutional Law

मूल अधिकार एवं उसका निलंबन

संविधानों की परंपरा प्रारंभ होने के पूर्व मूल अधिकारों को प्राकृतिक और अति आवश्यक अप्रतिदेय अधिकार कहा जाता था, जिसके माध्यम से शासकों के ऊपर अंकुश रखने का प्रयास किया गया था। इंग्लैण्ड में मूल अधिकार वे अधिकार कहे जाते हैं जो बिल ऑफ राइट्स द्वारा जनता ने प्राप्त किये हैं। अमेरिका एवं फ्रांस में इन अधिकारों को नैसर्गिक अधिकारों के रूप में ही स्वीकार किया गया है। भारत में भी गोलकनाथ के मामले में न्यायमूर्ति सुब्बा राव ने इन अधिकारों को नैसर्गिक और अप्रतिदेय अधिकार ही माना है। न्यायमूर्ति श्री पतंजलि [illegible] ने कहा है कि मूल अधिकार ऐसे अधिकार हैं जो स्वयं संविधान में समाविष्ट है. परंतु भारतीय संविधान में विधि-पद्धति का अनुसरण करते हुए इन्हें "संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों" के रूप में अंगीकृत किया गया है।

मूल अधिकारों का निलंबन :-

(2)

संविधान में उन परिस्थितियों का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि राज्य को यह अधिकार होगा कि सार्वजनिक हित में नागरिकों के मूल अधिकारों को निलम्बित कर सके। निम्नलिखित दशाओं में नागरिकों के मूल अधिकारों को निलम्बित किया जा सकता है-

(1) प्रतिरक्षा सेना के सदस्यों के सम्बन्ध में
(2) जब सेना-विधि लागू हो.
(3) संविधान में संशोधन द्वारा
(4) आपात् घोषणा के अधीन।

(1) प्रतिरक्षा सेना से सम्बन्धित व्यक्तियों के सम्बन्ध में:-

अनुच्छेद 13 के अनुसार राज्य द्वारा पारित ऐसी सभी विधियाँ अवैध एवं असंवैधानिक होंगी जो संविधान के भाग 3 में प्रदत्त मूल अधिकारों को किसी भी भाँति कम करती हैं लेकिन अनुच्छेद 33 में इसका एक अपवाद भी है जिसके अनुसार संसद को यह शक्ति प्राप्त है कि वह व्यक्तियों के मूल अधिकारों को कम या निलम्बित कर सकती है।

(2) जब सेना विधि लागू हो:-

अनुच्छेद 34 संसद को नागरिकों के मूल अधिकारों पर, जब किसी क्षेत्र में सेना विधि लागू है निर्बन्धन लगाने की शक्ति प्रदान करता है। ऐसे समय में संसद विधि द्वारा मूल अधिकारों के प्रयोग

Scanned with CamScanner

(3)

पर पूर्णतः या अंशतः निर्बन्धन लगा सकती है। संसद क्षतिपूर्ति अधिनियम पारित करके ऐसी अवधि में सेना प्राधिकारियों द्वारा सेना विधि के अधीन दिये गये दण्ड या किये गये कार्यों के दायित्व से उन्हें विमुक्ति प्रदान कर सकती है।

(3) संविधान संशोधन द्वारा –

संसद अनुच्छेद 368 के उपबन्धों के अनुसार संविधान में उचित संशोधन करके नागरिकों के मूल अधिकारों को न्यून कर सकती है या उन्हें छीन सकती है। अनुच्छेद 368 के अधीन किये गये संशोधन को किसी भी आधार पर किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। किन्तु मिनर्वा मिल के मामले में उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 368 में 42वें संशोधन द्वारा जोड़े गये खण्ड (4) और (5) को इस आधार पर असंवैधानिक घोषित कर दिया कि वे संसद को असीमित संशोधन शक्ति प्रदान कर संविधान के आधारभूत ढाँचे" को नष्ट करते हैं।

(4) आपात घोषणा के अधीन :-

अनुच्छेद 352 यह उपबन्धित करता है यदि राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाय कि गंभीर आपात विद्यमान है जिसको युद्ध या आपात या वाह्य आक्रमण सशस्त्र विद्रोह से भारत या उसके राज्य क्षेत्र के किसी भाग की सुरक्षा संकट में है तो वह आपात की घोषणा कर सकता है।

44वें संविधान संशोधन

अधिनियम 1978 अब यह स्पष्ट कर दिया गया है कि अनुच्छेद 19(क) में प्रदत्त अधिकारों को अब केवल देश पर 'बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह' के कारण देश की सुरक्षा के लिए संकट उत्पन्न होने की दशा में ही निलम्बित किया जा सकता है 'आंतरिक अशान्ति' के आधार पर नहीं, जो एक अस्पष्ट पदावली थी। दूसरे अनुच्छेद 358 केवल उन कानूनों को संरक्षण प्रदान करता जो आपात से सम्बन्धित है। अन्य कानूनों को आपातकाल में भी न्यायालयों में चुनौती दी जा सकती है। इस संशोधन द्वारा अनुच्छेद-359 में संशोधन करके यह स्पष्ट कर दिया गया है कि राष्ट्रपति को अब अनुच्छेद 21 द्वारा प्रदत्त प्राण एवं दैहिक स्वाधीनता के अधिकार को निलम्बित करने की शक्ति नहीं होगी। भविष्य में अब अनुच्छेद 21 द्वारा प्रदत्त अधिकार को निलम्बित नहीं किया जा सकेगा, जैसा कि 1975 में प्रवर्तित आपातकाल में कॉंग्रेस सरकार द्वारा किया गया था। इस संशोधन का उद्देश्य सन् 1975 में प्रवर्तित आपातकाल के दौरान हुई घटनाओं को रोकना है।